Periodic raids are conducted by the State Governments law enforcing agencies in collaboration with the Security Staff of the Coal Companies.

पराफीन मोम का वितरण

5948. **श्री टी० एस० नेगी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पैराफीन पर आधारित उद्योगों आदि की पैराफीन वितरण तथा परमिट दिए जाने के लिए सरकार का प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सम्बन्धित उद्योगों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण आधार पर कितने लोगों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को पैराफिन मोम का तिमाही आवंटन उनके द्वारा विगत में किये गये उठान, कुल उपलब्धता इत्यादि आधार पर करता है । पैराफिन मोम (सप्लाई, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के अनुसार वितरकों / वास्तविक उपयोग करने वालों के बीच इसका और आगे वितरण करना राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है ।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Laying of co-axial cables between Dhule and Surat

5949. SHRI MANIKRAO HODLYA GAVIT: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether there is a proposal to lay co-axial cable between Dhule and Surat;

(b) if yes, whether this project has received sanction; and

(c) if not, whether priority will be accorded to the project as this runs through and benefits tribal area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b): Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Allotment of cooking gas agencies in Andhra Pradesh

5950. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of persons given cooking gas agencies in various cities in the State of Andhra Pradesh during the last two years; and

(b) what are the details regarding the policy of Government adopted in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) 18.

(b) According to the policy/procedures being followed by the oil companies, the selection of dealer/distributor is made after advertisement in the newspapers calling for applications from the eligible candidates and on the recommendation of a duly constituted Selection Committee based on merits.

Wrong telephone billing in the Capital

5951. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state;

(a) whether Government have taken steps to instal electronic telephone system to rectify the wrong billing of telephone calls;

(b) whether Government have received complaints particularly in the Capital regarding the wrong billing of telephone calls; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Steps taken by the Government for installation of electronic telephone systems are based on techno economic considerations and are not related to excess metering complaints..

(b) Yes, Sir. We do recive complaints of excess metering of local calls.

(c) The number of complaints received from the subscribers alleging excess metering during the year 1980-81 and 1981-82 (upto Feb. 1982) is as follows:

Year	No. of bills issued	No. of excess metering complaints received	% of Col. 3 to Col. 2
1980-81	12,17,837	12,627	1.04
1981-82	12,30,742	10,832	0.88

उच्च न्यायालय के न्यायाधिशों को उपलब्ध अतिरिक्त लाभ

5952. श्री विलास मूतेमवार : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत 3500 रुपये का उसके निश्चित मासिक वेतन के साथ प्रतिमास कितनी राशि अदा की गई ; (एक) महंगाई भत्ता, (दो) सवारी भत्ता, (तीन) अतिरिक्त भत्ता, (चार) होम टाउन यात्रा भत्ता; और

(ख) उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ग्रेच्यूटी, परिवार पेंशन आदि के रूप में क्या-क्या अन्य आर्थिक लाभ उपलब्ध हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विभिन्न शीर्षों के अधीन निम्नलिखित रकमों का संदाय किया जाता है :—

(i) **और** (iii) **महंगाई भत्ता और अतिरिक्त भत्ता** :

वित्त मंत्री ने 15 मार्च, 1982 को लोक सभा में जो वक्तव्य दिया है, उसके अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 1-1-1982 से प्रतिमास 1500 रुपये तदर्थ भत्ता के पात्र होंगे ।

(ii) सवारी भत्ता :

300 रुपये प्रतिमास परन्तु यह तब जब न्यायाधीश मोटर कार रखे ।

(iv) **नगर होम (स्वटाउन) यात्रा भत्ता**

न्यायाधीश दो वर्ष के एक ब्लाक में एक बार अपनी छुट्टी के दौरान